सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023/412 दर्ज तिथिः—09.10.2023

1. लुम्बाराम वल्द श्री खरथाराम,
   कौम जाट, साकिन खाणिया, ग्रामपंचायत अर्जुन की ढाणी, तहसील नोखडा, जिला बाडमेर।

.....वादी

बनाम

1. जेठाराम वल्द श्री भूराराम
2. कलाराम वल्द श्री भूराराम
3. ताजाराम वल्द श्री भूराराम
4. वनाराम वल्द श्री भूराराम
5. रुगाराम वल्द श्री भूराराम
6. दमाराम वल्द श्री भूराराम
7. पारु पत्नी श्री भूराराम
   कौम जाट साकिन खाणिया, तहसील नोखडा जिला बाडमेर।
8. पी0डब्ल्यू0डी0 ठेकेदार मैसर्स तनसिंह चौहान कस्ट्रक्शन कम्पनी प्रो0 जोगेन्द्रसिंह एण्ड राजेन्द्रसिंह राजपूत बाडमेर, फर्म कार्यरत ग्राम पंचायत अर्जुन की ढाणी, तहसील नोखडा।
9. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड— आडेल।
10. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गुडामालानी
11. अधिक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

12. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 गुडामालानी।
13. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बाड़मेर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखडा।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—19.09.2024

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के सेढा सेढ वक्त सेटलमेंट का एक राजकीय कट्टान मार्ग चल रहा है। उक्त वक्त सेटलमेंट का राजकीय कट्टान मार्ग वर्तमान में वादीगण की पैतृक कब्जाशुदा आराजी एवं वादीगण की आराजी के पड़ौस में स्थित प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 की आराजी खसरा संख्या 264 के मध्य अर्थात्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खसरों के मध्य सेढा सेढ चल रहा है। उक्त वक्त सेटलमेंट के कट्टान मार्ग पर नई सड़क जो अर्जुन की ढाणी से बुड़िया नाडा होते हुए आगे धोरीमन्ना को जोड़ने वाली नई डामर सड़क तक जाती है, का सड़क विस्तार एवं नया डामर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 एवं 08 ता 11 मिलकर सेटलमेंट के कट्टान मार्ग से हटकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47 के खेत के दो टुकड़े करते हुए नई डामर सड़क का निर्माण करने पर आमादा हैं। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि में वक्त सेटलमेंट का सरकारी कट्टान मार्ग बताकर वादी के खेत के दो टुकड़े करते हुए लठ के बल जबरन सड़क निर्माण कराने पर उतारू हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं हुए। इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई।

3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्वंत
1.	खाता संख्या 49 जमाबंदी वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072—75 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
2.	खाता संख्या 49 राजस्व नक्शा वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा	सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
3.	परिशिष्ठ—अ नजरी नक्शा	दिनांक 12.08.2024
4.	ग्राम खाणिया का वक्त सेटलमेंट वक्त सेटलमेंट के नक्शे की प्रमाणित प्रति	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी. डब्ल्यू.—1	लूम्बाराम पुत्र खरथाराम जाति जाट	ग्राम खाणिया, ग्राम पंचायत अर्जुन की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

5. प्रकरण में प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ एवं वक्त सेटलमेंट के रास्ते से हटकर नया सड़क निर्माण कार्य नहीं करने बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद वर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested

	वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा सेटलमेंट के रास्ते से हटकर वादीगण की खातेदारी आराजी में जबरन सड़क निर्माण कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—1 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैः—

स्वामित्व एवं कब्जा	प्रकरण में प्रदर्श संख्या—01 ता 04 के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 264/35.693 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा आपस में सेड़े—सेढ़ अवस्थित है। आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072—75 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021) वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा के खाता संख्या 49 के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादी का स्वामित्व अविवादित है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है।
सुविधा का संतुलन	मुतनाजा आराजी पर वादी की खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी वादी के पक्ष में होना स्पष्ट है।
अपूरणीय क्षति	वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी संतुष्ट होती है।

9. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न न करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested

	आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested

		खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544 / 47 / 8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

10. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544 / 47 / 8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544 / 47 / 8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उक्त आराजी पर से वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 11 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित हैं। उक्त विभाग का मुख्य कार्य सड़क निर्माण है। सड़क निर्माण एक जनहित का कार्य है। विधि का सुमान्य सिद्धांत है कि जनहित का कार्य चाहे निजी खातेदारी पर हो या सार्वजनिक आराजी पर हो उक्त सार्वजनिक / जनहित के कार्य को रोकना जनहित के विपरीत है। अतः सड़क निर्माण का कार्य जनहित का कार्य होने के कारण प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 11 सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरूद्ध प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 11 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 11 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 11 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण के विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर *डिक्री किया जाता है।*

इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023 / 412 दर्ज तिथिः–09.10.2023

1. लुम्बाराम वल्द श्री खरथाराम,
कौम जाट, साकिन खाणिया, ग्रामपंचायत अर्जुन की ढाणी, तहसील नोखडा, जिला बाडमेर।

......................वादी

बनाम

1. जेठाराम वल्द श्री भूराराम
2. कलाराम वल्द श्री भूराराम
3. ताजाराम वल्द श्री भूराराम
4. वनाराम वल्द श्री भूराराम
5. रुगाराम वल्द श्री भूराराम
6. दमाराम वल्द श्री भूराराम
7. पारु पत्नी श्री भूराराम
कौम जाट साकिन खाणिया, तहसील नोखडा जिला बाडमेर।
8. पी0डब्ल्यू0डी0 ठेकेदार मैसर्स तनसिंह चौहान कस्ट्रक्शन कम्पनी प्रो0 जोगेन्द्रसिंह एण्ड राजेन्द्रसिंह राजपूत बाडमेर, फर्म कार्यरत ग्राम पंचायत अर्जुन की ढाणी, तहसील नोखडा।
9. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड– आडेल।
10. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गुडामालानी
11. अधिक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बाड़मेर।

................असल प्रतिवादीगण

12. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 गुडामालानी।
13. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बाड़मेर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखडा।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः–एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested

–:पर्चा डिक्री

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी अराजी खसरा संख्या

544/47/8.1989 है0 वाके ग्राम खाणिया तहसील नोखड़ा पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 11 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर *डिक्री किया जाता है।*

इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested